सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 14 / 2015

**प्रार्थीगण**

1. दयालराम पुत्र श्री नथमल
2. नरपत पुत्र श्री बुधाराम
3. मलाराम पुत्र श्री बुधाराम
4. मनोहरीदेवी पुत्री श्री बुधाराम
5. केलम पत्नी बुधाराम
   सभी जातियान राव निवासीगण ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. पुसाराम पुत्र श्री ओगड़राम
2. पानीदेवी पत्नी श्री पुसाराम
   जातियान सीरवी निवासीगण ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. बीजाराम पुत्र श्री बुधाराम
   जाति राव निवासी ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
4. प्रबन्धक, थार ग्रामीण बैक / थार आंचलिक ग्रामीण बैक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 12.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम खारिया मीठापुर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दोनो पक्षो द्वारा की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि होना राजस्व रेकर्ड से साबित होता है तथा सयुक्त खातेदारी भूमि में कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या / 2015 के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा